

**Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.**

O.A. No. 115 of 2025

COUNTER AFFIDAVIT

(On behalf of the Opposite Party No.3)

Nitin SrivastavaApplicant

Versus

State of U.P. and othersRespondents

Index

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Application for taking on record	1-2
2.	Counter Affidavit filed by respondent no.3.	3-12
3.	<u>Annexure No.Ca-1</u> The copy of Counter affidavit filed in Writ Petition No. 14356/2019	13-27
4.	<u>Annexure No.Ca-2</u> The Copy of the letter No. 28/Upa.C./97 dated 24.04.1997 issued by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow with typed copies	28-49
5.	<u>Annexure No.Ca-3</u> The copies of some of the complaints	50-51

	including the complaint letter No. 268 / 2005-06 dated 12.12.2005 with typed copy	
6.	<u>Annexure No.Ca-4</u> The Copy of the said letter dated 02.02.2006 with typed copy	52-54
7.	<u>Annexure No.Ca-5</u> The copy of letter no. 180 / 2023-24 dated 19.09.2023 with typed copy	55-59
9.	<u>Annexure No. Ca-6 with typed copy</u> The copy of letter dated 13.08.2024	60-63
10.	<u>Annexure No.Ca-7</u> with typed copy The copy of photographs of the college premises showing the greenery and plantation	64-72
11.	I.D./ Vakalatnama	73-74

Lucknow:

H. Chaudhary
(Lokesh Kumar Choudhary)

Dated: 19.07.2025

Advocate

Anuj Pandey
(Anuj Pandey)


(Ajay Singh)
Advocate

Advocate

OFFICE: 23A, GF Middle Circle, Sujan Singh Block, Connaught Place, New Delhi-110001, Mob. No.: +91 9560216710, Email: veerlokesh@gmail.com

**Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.**

O.A. No. 115 of 2025

COUNTER AFFIDAVIT

(On behalf of the Opposite Party No.3)

Nitin SrivastavaApplicant

Versus

State of U.P. and othersRespondents

APPLICATION FOR TAKING ON RECORDS

The applicant-Respondent No. 3 respectfully begs to state as follows:

That filing of the accompanying Counter Affidavit in reply to the above noted original application is necessary and expedient for the just and proper adjudication of the case.

Murthy

WHEREFORE, it is respectfully prayed that the accompanying Counter Affidavit may kindly be accepted and brought on records of the case.

New Delhi

Dated: 22.07.2025

H. Chaudhary

(Lokesh Kumar Choudhary)

Advocate

Pandey

(Anuj Pandey)

Advocate



(Ajay Singh)

Advocate

OFFICE: 23A, GF Middle Circle, Sujan Singh Block, Connaught Place, New Delhi-110001,

Mob. No.: +91 9560216710,

Email: veerlokesh@gmail.com

Advocates


Counsels for Respondent No.3

**Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.**

O.A. No. 115 of 2025

COUNTER AFFIDAVIT

(On behalf of the Opposite Party No.3)




Nitin Srivastava

..... Applicant

Versus

State of U.P. and others
..... Respondents

Counter Affidavit on behalf of Respondent No.3




I, Rashmi Bishnoi aged about 59 years, Wife of
Shri Ravindra Pal Singh, Resident 202 Grandeur
Park Apartment, B 50, Mahanagar Extention,
Opposite J Park, Lucknow, Uttar Pradesh-226006
Educational Qualification Ph.D., Occupation-

Rashmi Bishnoi

Government Service, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-


1. That the deponent is respondent no.3 herself in the present application as she is presently posted as Principal, Neta ji Subhash Chandra Bose Government Girls Post Graduate College, Aliganj, Lucknow, which is a pure Government College being governed by Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh. A copy of the identity proof of the deponent is being annexed herewith this Counter Affidavit.
2. That the deponent is the answering respondent no.3 in the above noted application. She states that she is well conversant with the facts of the present case.
3. That the deponent has read over and understood the contents of original application and as such she is giving parawise reply thereto.
4. That in reply to the contents of para 1 of the original application it is humbly submitted that the applicant is neither a journalist nor a social worker rather he is an annoyed person and closely connected with the encroachers of the college land as their encroachment has been demolished by



Rashmi Bisht


Lucknow Development Authority with the help of Lucknow Police in presence of Higher Administrative Authorities. The said encroachment was removed from college land after marathon efforts of two decades. The Present Application is only giggling of encroachers they are trying their best to harass the respondents especially respondent no.3., by filing present application which is based on wrong facts with malafide intention.

5. That the contents of para 2 and 3 of the 'original application are absolutely false, incorrect hence denied. It is further submitted here that Netaji Subhash Chandra Bose Rajkiya Mahila Snatkottar Mahavidyalaya, Aliganj Lucknow was established under full efforts and guidance of Bharat Ratna Shri Atal Bihari Bajpai, Ex-Prime Minister of India in the year 1997. It is further submitted here that initially 100 girls took admission in the year of establishment of Netaji Subhash Chandra Bose Rajkiya Mahila Snatkottar Mahavidyalaya, Aliganj Lucknow (in short referred to as the 'College'). At present the strength of the students in the college is about 2800.



Rachin Bhatnagar

6. That in reply to the contents of para 4 of the original application it is humbly submitted that after getting removal of encroachment made by the adjoining residents of the college building belonging (house No. SP-13 to 24), a false complaint has been made by the applicant alleging false allegation of cutting trees. It is further submitted here that as collage was continuously making efforts to remove the encroachment since two decades, some encroachers/ annoyed persons i.e. Smt. Sudha Agrawal, Mrs. Seema Kidwai, Smt. Manjula Tiwari, Neeraj Kumar and one Artiman Tripathi residents behind the college, on the basis of apprehension on similar facts and circumstances have already filed a Writ Petition bearing No.14356/2019 (Writ-C) before Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Lucknow which is pending for adjudication and a detailed counter affidavit has already been filed by the deponent in the aforesaid writ petition. The copy of Counter affidavit filed in Writ Petition No. 14356/2019 is being annexed herewith as **Annexure No. Ca-1.**



7. That in reply to the contents of para 5 of the original application it is humbly submitted that the that nothing wrong has been done by the

Rashmi Bishnoi

answering respondents rather tireless efforts have been made by the deponent for the removal of encroachment. As a result of which this fake complaint with malafide intention has been filed by applicant in connivance with encroachers.

8. That in reply to the contents of para 6 of the original application it is humbly submitted that Lucknow Development Authority, Lucknow vide letter No. 28/Upa.C./97 dated 24.04.1997 allotted 4.91 Acre land for the establishment of the college, out of which 2.517 acre land was used for educational purpose and remaining Area 2.393 Acre land was for the purposes of park and sports ground. It is further submitted that accordingly the land is being used by the college. The Copy of the letter No. 28/Upa.C./97 dated 24.04.1997 issued by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow ANNEXURE NO. CA-2 to this Counter Affidavit.

9. That in reply to the contents of para 7 of the original application it is humbly submitted that when trees were not cut down hence there was no occasion to seek permission from the respondent no.2.

Rashmi Bishnoi




10. That the contents of para 8 of the original application is false, incorrect hence denied. It is further submitted here that the applicant is well aware of the facts that a writ Petition No. 14356/2019, is pending before Hon'ble High Court at Lucknow Bench for adjudication but just in order to harass the deponent and under some illegal motive best known to him, present application has been filed by him.

Additional Facts

11. That the local residents who are the owners of House No. S.P.-13 to S.P.24 were the encroachers of 2.517 acres land of College. These encroachers had made unauthorized encroachments over 2.517 acre land of College, by raising temporary/permanent constructions by installing Tin shed. They have established hospital, Gym, Nursing Home, Printing Press, Servant Quarters etc. over the land of college; further some of them were doing unauthorized commercial activities.

That for removing encroachments over the land of college, several complaints were made by the college to the District Magistrate, Lucknow. The copies of some of the complaints including the complaint letter No. 268/2005-06 dated




Rashmi Bishnoi

12.12.2005 are being annexed herewith collectively as **ANNEXURE No. CA-3** to this Counter Affidavit.

13. That the then District Magistrate, Lucknow took cognizance of the complaints and assigned inquiry to the Additional District Magistrate (City), Trans Gomti, Lucknow by nominating him as the Inquiry Officer. The Additional City Magistrate-V, conducted on spot inspection. The Additional City Magistrate-V, Lucknow in his report found unauthorized possession of the encroachers/local residents (owners of the House No. S.P.-13 to S.P.24), including the petitioner/applicant.

14. That thereafter the College vide its letter No. 323/Bhawan Atikraman/2005-06 dated 02.02.2006 informed the District Magistrate, Lucknow, that owners of the House No. S-P. 21, 22, 23 and 24 are still in possession over the land of college by making illegal encroachments but the encroachments have yet not been removed. The Copy of the said letter dated 02.02.2006 is being annexed herewith as **ANNEXURE No. CA-4** to this Counter Affidavit.



15. That the College vide letter dated 19.09.2023 requested the Secretary, Higher Education, U.P. Government, Lucknow to take appropriate action


Rashmi B...

for removing the encroachments from the land of the College. The copy of letter No. 180/2023-24 dated 19.09.2023 is herewith collectively being annexed **ANNEXURE No. CA-5** to this Counter Affidavit.

16. That in continuation of event the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow vide letter dated 13.08.2024 fixed 21.08.2024 for removing encroachments from the land of college and requested the Joint Commissioner of Police, Law and Order, Lucknow to make available sufficient Police force on ^{✓ 13/}21.08.2024 in the before noon at 11:00 a.m. The Copy of the said letter dated ¹³21.08.2024 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-6** to this Counter Affidavit.

17. That it is needful to mention here that a complaint has also been lodged by the college against the encroachers at the Anti-Bhu-Mafia Portal, Uttar Pradesh. The Complaint was registered bearing No. 41015719000255.

18. That it is pertinent to mention here that the deponent is a law abiding citizen. There is no complaint against her. She has been performing her duties for the welfare of college and students. She has not violated any norms and regulation




Rashmi Bishnoi

provided in the "The Environment protection Act, 1986", the National green Tribunal Act, 2010 etc. The copy of photographs of the college premises showing the greenery and plantation is being annexed herewith as **Annexure No.CA-7.**

19. That it is needful to mention here against fake complaint made by applicant the authorities of forest department visited twice in collage compound but found nothing objectionable.

20. That the application filed by the applicant is misconceived, devoid of merits and the grounds taken by the applicant in the present original application and are against the material facts, hence not sustainable in the eyes of law, thus present original application deserves to be dismissed with exemplary cost.



Lucknow:

Dated:

Rahim Bishnoi

Deponent

Verification

I, the above named deponent do verify that the contents of para 1-5,7,9-11,17,19 of this counter affidavit are true to my personal knowledge and those of paras 6,8,12,14-16,18 are believed by

me to be true on the basis of records and remaining para 20 is believed by me to be true on the basis of legal advise.

Lucknow:

Dated:


Ravish Bishnoi

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Anuj Pandey
(Anuj Pandey)

Advocate



Sworn and Verified
before me.

IP 7/26
ASHOK KUMAR DIXIT
Advocate & Notary
Mob. 9839361342

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH LUCKNOW



Oath Commissioner

WRIT-C NO. 14356 OF 2019

HIGH COURT
ALLAHABAD
AFFIDAVIT 2025



2798

1. Agrawal, W/o Sri Heera Lal Agrawal
Qualification - M.Sc., M.Ed., retired Principal, Mahila
Inter College, Lucknow, R/o. SP-17, Sector-C, Aliganj,
Lucknow.
2. Mrs. Seema Kidwai, aged about 39 years, W/o Sri
Z.K. Kidwai, Qualification -M.A., occupation -
Housewife, R/o. SP-16, Sector-C, Aliganj, Lucknow.
3. Smt. Manjula Tewari, aged about 55 years, W/o Sri
Om Prakash Tewari, occupation - Housewife, R/o. SP-
23, Sector-C, Aliganj, Lucknow.
4. Neeraj Kumar, aged about 45 years, S/o Late
R.N. Kapoor, Qualification - Post Graduate in
Management, occupation - freelancer, R/o. SP-11,
Sector-C, Aliganj, Lucknow.
5. Artiman Tripathi, aged about 66 years. S/o Sri
S.S. Tripathi, occupation - retired Government servant,
R/o. SP-24, Sector-C, Aliganj, Lucknow.

..Petitioners

Versus.

1. State of U.P. through Principal Secretary, Awas,
Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow.
2. Principal Secretary, Higher Education, Government of
U.P., Lucknow.
3. Principal, Netaji Subhash Chandra Bose Government
Girls Postgraduate College, Aliganj, Lucknow.
4. Lucknow Development Authority, Lucknow through
its Vice Chairman/Secretary.



..Opp.Parties

Rashmi Bishnoi

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE OPP.
PARTY NO. 3

I, Rashmi Bishnoi aged about 59 years, Wife of Shri Ravindra Pal Singh, Resident 202 Grandeur Park apartment, B 50, Mahanagar Extention, Opposite J Park, Lucknow, Uttar Pradesh-226006 Educational qualification Ph.D., Occupation- Government Service, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Principal, Netaji Subhash Chandra Bose Government Girls Postgraduate College, Aliganj, Lucknow. A copy of the identity proof of the deponent is being annexed herewith this Counter Affidavit. The deponent is duly authorised to do parivee for and on behalf of the answering Opposite Parties in the above noted Writ Petition. She states that she is well conversant with the facts deposed to hereunder.
2. That the deponent has carefully gone through the Writ Petition and its annexures and the affidavit filed in support thereof and has understood the contents thereof.
3. That the contents of paragraph 1 and 2 of the Writ Petition need no comments.



Rashmi Bishnoi

4. That the contents of paragraph 3 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied. In this respect, the facts, which are having material relevance, are being submitted herein under:-

A. That it is pertinent to submit that Netaji Subhash Chandra Bose Rajkiya Mahila Snatkottar Mahavidyalaya, Aliganj Lucknow was established under full efforts and guidance of Bharat Ratna Shri Atal Bihari Bajpai, Ex-Prime Minister of India in the year 1997. Initially 100 girls took admission in the year of establishment of Netaji Subhash Chandra Bose Rajkiya Mahila Snatkottar Mahavidyalaya, Aliganj Lucknow (in short referred to as the 'College'). At present the strength of the students in the college is 2800. The College in question is B-Grade College.

B. It is submitted that the proposal for changing land use of the land use submitted vide letter no. said 6765 dated 10.04.1997 of the City and Country Planning Department, U.P. Copy of the said letter dated 10.04.1997 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-1** to this Counter Affidavit. The State Government vide Government Order no. By order No. 1424 / 29-A-3-97-28 LUC / 97 dated 11.04.1997 directed to publish the change of land



Rashmi Bishnoi

use in local newspapers as well. Copy of the Government Order dated 11.04.1997 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-2** to this Counter Affidavit.

C. That it is pertinent to submit that the Lucknow Development Authority, Lucknow letter No. 28/Upa.C./97 dated 24.04.1997 allotted 4.91 Acre land for the establishment of the college, out of which land use of 2.517 acre was for educational purpose and the land use of remaining Area 2.393 Acrea land was for the purposes of Park and sports ground. Copy of the letter No. 28/Upa.C./97 dated 24.04.1997 issued by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-3** to this Counter Affidavit.

D. That the construction of the building of college had started on 17.05.1997; which had completed on 15.08.2000. After the completion of construction of the college, the building of college was handed over on 06.09.2005 to the Principal of the postgraduate College by the Regional Higher Education Officer, Lucknow, representative of the Director, Higher Education, U.P., Allahabad (now Prayagraj), Executive Engineer-1 and the Junior Engineer,



Rohini Bhatnagar

Lucknow Development Authority. Copy of the letter dated 06.09.2005 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-4** to this Counter Affidavit.

E. That it is pertinent to submit that due to the unauthorized encroachments over the land of college by the local residents, boundary wall of the college could not constructed.

F. That it is relevant to submit that the local residents who are the owners of House No. S.P.-13 to S.P.24 are the encroachers of 2.517 acra land of College. These encroachers have unauthorizedly made encroach- ments over 2.517 acre land of College, by raising temporary/permanent constructions by installing Tinshed. They have established hospital, Jim, Printing Press etc., over the land of college. The unauthorized commercial activities over the land of college, being most illegal, is not only against the interest of the property of the coliege but the same is also against the safety/security of the girl students of the college.



G. That the College issued letter No. 258 to 267 dated 12.12.2005 the unauthorized encroachers/owners of the House No. S.P.-13 to S.P.24 to remove the illegal encroachments made by them from the land of the college. Copy of the said letter/Notice No. 258 to 267

Rashmi Bisht

dated 12.12.2005 are being annexed herewith collectively as **ANNEXURE NO. CA-5** to this Counter Affidavit.

H. That for removing encroachments over the land of college, several complaints were made by the college to the District Magistrate, Lucknow. The copies of some of the complaints including the complaint letter No. 268/2005-06 dated 12.12.2005 are being annexed herewith collectively as **ANNEXURE NO. CA-6** to this Counter Affidavit.

I. That then District Magistrate, Lucknow took cognizance of the complaints and assigned inquiry to the Additional District Magistrate (City), Trans Gomti, Lucknow by nominating him as the Inquiry Officer. The Additional City Magistrate-V, conducted on spot inspection. The Additional City Magistrate-V, Lucknow in his report dated 06-01-2006 reported encroachments by the local residents over the land of college. Copy of the said Inspection Report dated 06.01.2006 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-7** to this Counter Affidavit.



J. That on the College's complaint dated 12.12.2005, as directed by the District Magistrate, Lucknow some action was taken to remove encroachments but most of the land of the college still remained in

Ranjan Bishnoi

unauthorized possession of the encroachers/local residents (owners of the House No. S.P. -13 to S.P.24), including the petitioners.

K. That therefore the College vide its letter No. 323/Bhawan Atikraman/2005-06 dated 02.02.2006 informed the District Magistrate, Lucknow that owners of the House No. S-P. 21, 22, 23 and 24 are still in possession over the land of college by making illegal encroachments but the encroachments have yet not been removed. Copy of the said letter dated 02.02.2006 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-8** to this Counter Affidavit.

L. That the College vide letter dated 06.06.2011 requested the Secretary, Higher Education, U.P. Government, Lucknow to take appropriate action for removing encroachments from the land of the college. Copy of the said letter dated 06.06.2011 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-9** to this Counter Affidavit.



M. That the College through various letters requested the District Administration, Commissioner, Lucknow Division, Lucknow, Sachiv, Lucknow Development Authority, Lucknow. Copies of the letter no. 53 dated 02.06.2011, no. 54 dated 06.06.2011, Letter no. 247 dated 16.01.2019, Letter no. 242 dated 12.01.2019

Rashmi Bishnoi

and the letter no. 180 / 2023-24 dated 19.09.2023 are being annexed herewith collectively as **ANNEXURE NO. CA-10** to this Counter Affidavit.

N. That the Sachiv, Lucknow Development Authority, Lucknow vide letter dated 13.08.2024 fixed 21.08.2024 for removing encroachments from the land of college and requested the Joint Commissioner of Police, Law and Order, Lucknow to make available sufficient police force on 21.08.2024 in the before noon at 11:00 a.m. Copy of the said letter dated 13.08.2024 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-11** to this Counter Affidavit.

O. That the complaint has been lodged by the college against the encroachers at the Anti-Bhu-Mafia Portal, Uttar Pradesh. Copy of the Complaint No 41015719000255 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-12** to this Counter Affidavit.



P. That the photographs of the illegal and unauthorized encroachments over the land of college is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-13** to this Counter Affidavit.

Q. That Additional City Magistrate-V, Lucknow conducted on spot inspection and vide letter dated 31.01.2025 has requested the Sachiv, Lucknow

Rachur Basini

Development Authority, Lucknow for fixing date for removing encroachment by 12 persons from the land of college, so that on the date so fixed, sufficient police force may be made available for removing encroachment from the land of college. Copy of the letter dated 31.01.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-14** to this Counter Affidavit.

R. That in pursuance of the aforesaid letter dated 31.01.2025 till date no action has been taken by the concerned authorities for removing unauthorized encroachments from the land of the college therefore the Principal of the College vide letter dated 10.02.2025 has requested the Sachiv, Lucknow Development Authority, Lucknow for taking appropriate necessary action for removing encroachments from the land of College. Copy of the said letter dated 10.02.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-15** to this Counter Affidavit.



S. That the unauthorized illegal encroachments over the land of college is against the interest of the college and its girls students.

T. That therefore, it would be expedient in the interest of justice that the authorities concerned may kindly be directed to take appropriate action for removing

Roshni Bishnoi

encroachments from the land of college in the interest of the college and its students.

5. That the contents of paragraph 4 to 8 of the Writ Petition need no comments.

6. That the contents of paragraph 9 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied. It is submitted that the land which is being said to be green belt by the petitioners, has been developed as a park and play ground for girl students by the Government, and a large number of medicinal and fruit trees have been planted over the land in question by the college, whereas the petitioners themselves are destroying its nature, every day anti-social elements and stray animals are roaming freely in the college. Due to the illegal, unauthorized activities of the encroachers and the movement of the stray animals the cleanliness and peaceful atmosphere of the college has been adversely affected.



7. That the contents of paragraph 10 to 15 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied. It is submitted that the proposal FOR changing land use of the land use submitted vide letter no. said 6765 dated 10.04.1997 of the City and Country Planning Department, U.P. Copy of the said

Roshni Bishnoi

letter dated 10.04.1997 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-12** to this Counter Affidavit. The State Government vide Government Order no. By order No. 1424/29-A-3-97-28 LUC/97 dated 11.04.1997 directed to publish the change of land use in local newspapers as well. Copy of the Government Order dated 11.04.1997 is being annexed herewith as **ANNEXURE NO. CA-13** to this Counter Affidavit.

8. That the contents of paragraph 16 to 20 of the Writ Petition are not admitted as stated. It is submitted that the then principals of the college repeated requested the local residents/encroachers (including the petitioners) to remove their illegal unauthorised illegal possession from the land of college which is a government land so that the construction of boundary of the college may be constructed and the movements of unwanted elements could be stopped. But they deliberately did not remove illegal encroachments instead they have opened doors in the backyards of their unauthorized temporary construction.



9. That the contents of paragraph 21 to 28 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied and in reply thereto the contents of

Rashmi Bhatnagar

preceding paragraph 4 of this Counter Affidavit are reiterated.

10. That the contents of paragraph 29 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied. It is submitted that a massive tree plantation program was carried out on various national festivals and other occasions by the girl students of the college, NCC, NSS and Ranger volunteers, professors and employees and more than 300 fruit and medicinal plants were planted, whereas the encroachers polluted the environment terribly by unauthorizedly constructing plastic sheds, tin sheds and concrete structures at the back side. A huge heap of garbage was collected by these people (including the petitioners), which led to foul smell and pollution.

11. That the contents of paragraph 30 to 31 of the Writ Petition are incorrect, misleading and misconceived hence denied. It is submitted that the petitioners and other local residents are trying to continuously retain their possession by placing false, incorrect and wrong facts before the Hon'ble Court with bad intention to usurp the property of the college. The college is continuously making efforts to remove the encroachment. The College through has made



Rashmi Bishnoi

continuous efforts by writing various letters to the District administration, Lucknow Development Authority, Lucknow to take actions for removing the encroachments from the college's land. In this regard, the contents of preceding paragraph 4 of this Counter Affidavit are reiterated. As stated earlier, the Additional City Magistrate-V, Lucknow conducted on spot inspection and vide letter dated 31.01.2025 has requested the Sachiv, Lucknow Development Authority, Lucknow for fixing date for removing encroachment by 12 persons from the land of college, so that on the date so fixed, sufficient police force may be made available for removing encroachment from the land of college. In pursuance of the aforesaid letter dated 31.01.2025 till date no action has been taken by the concerned authorities for removing unauthorized encroachments from the land of the college therefore the Principal of the College vide letter dated 10.02.2025 has requested the Sachiv, Lucknow Development Authority, Lucknow for taking appropriate necessary action for removing encroachments from the land of College. The unauthorized illegal encroachments over the land of college is against the interest of the college and its girls students. Therefore, it would be expedient in the interest of justice that the petitioners who are



Roshni Bishnoi

amongst the unauthorised encroachers over the land of College, may kindly be directed to remove their illegal/ unauthorised encroachments from the land of college (Government land) in the interest of the college and its students as well.

12. That the contents of paragraph 32 of the Writ Petition are not admitted as stated. The answering Opposite Parties are advised to state that the grounds raised by the Petitioner in the Writ Petition are wholly misconceived, untenable and without any force. The Writ Petition deserves to be dismissed with costs being devoid of merits.

LUCKNOW:
~~Order Commissioner~~
DATED: 26/3/2025

Rashmi Beshma
DEPONENT



VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 and 2 of this affidavit are true to my own knowledge, those of paragraphs 3 to 11 are true to my information derived from the records and those of paragraphs 12 are believed to be true on legal advice sought. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

LUCKNOW:

DATED: 26/3/2025

Rashmi Beshnoi
DEPONENT

IDENTIFICATION

I, identify the deponent, who has signed before me.

[Signature]
Clerk to the office of the
C.S.C. Lucknow Bench.

Solemnly affirmed before me on 26/3/25 at 11.00 a.m./p.m. by the deponent Rashmi Beshnoi

who is identified by Shri Yamini Devi,
Clerk to the office of the Chief Standing Counsel,
High Court, Lucknow Bench, Lucknow.



I have satisfied myself by examining the deponent that he understands fully the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

Rashmi Beshnoi

[Signature]
MOHD. JAVED
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH
OATH COMMISSIONER.
NO. 0042790
DATE 26/3/25

-29-

9 (6)

-२-

योजना की लागत ₹०-८५४.१८ लाख होगी। अतः आन्तरिक खर्चा राशि को शासनादेश निर्गत किया जाना अनिष्ट होगा।

६. इसी प्रकरण में यह भी अवगत करना चाहेंगे कि दिनांक २४ अप्रैल, १९९७ को महिला महाविद्यालय के 'शिलान्यास' के रूप अवरार पर माननीय श्री अरुण विहारी बाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्थानीय सांसद द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण कार्य की १०० दिनों में पूर्ण करने जुलाई, १९९७ से शिवा सत्र प्रारम्भ किये जाने की भी घोषणा की गई है। अतः महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य स्थल पर आरम्भ करा दिया गया है ताकि निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि महिला महाविद्यालय का निर्माण लगभग ५ एकड़ भूमि पर निर्मित कराये जाने की दशा में ₹०-५८५.८५ लाख अथवा १० एकड़ भूमि पर पूर्ण कराये जाने की दशा में ₹०-८५४.१८ लाख की धनराशि पर निर्माण से ते हुए शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे कि महाविद्यालय के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

यदि शासन को उपरोक्तानुसार एक पुरत धनराशि तुरन्त उपलब्ध कराने में कठिनाई हो तो संश्लिप्त धनराशि को तीन भागों में बाँटकर अर्थात् अप्रैल, मई, जून, १९९७ (प्रत्येक माह-) में एक तिहाई प्रतिमाह के आधार पर उपलब्ध करा दिया जाये तथा प्रथम किरत १/३ अक्टूबर दिनांक ३० अप्रैल, १९९७ तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

सादर

भावनिष्ठ

(मं० ए० मिश्र)
१८

श्री अतुल चतुर्वेदी
सचिव उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

प्रिय गणेशदय

उपरोक्त पत्र आपकी तब सम्मति में आन्तरिक खर्चा राशि निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने से अनुरोध के रूप में किया है। अवगत करना है कि महाविद्यालय के निर्माण का कार्य पूर्ण की स्वीकृति का प्रस्ताव है- आन्तरिक खर्चा राशि प्राप्त है।

श्री अरुण कुमार गुप्ता,
सचिव,
आवास, सं० ३० दरभंगा।

Rohini Bishnoi



भावनिष्ठ

(मं० ए० मिश्र)

1-87/1/2017

जे.एस. मिश्र,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सुभाष चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ--226001
अर्द्धशासकीय पत्रांक-28 / उपा-सी / 97
दिनांक 24 अप्रैल, 1997

प्रिय महोदय,

कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 1352/15-17-97 दिनांक 10.04.1997 का संदर्भ लें।

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संघालित अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-डी में राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु 4.91 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्तमान में प्रभावी लखनऊ नगर की महायोजना 2001 के अनुसार प्र नगत स्थल का भू-प्रयोग मनोरंजनात्कक पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है। अतः इस भूमि में से विद्यालय निर्माण हेतु 2.517 एकड़ भूमि भू-प्रयोग शैक्षणिक प्रयोग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम्य नगर नियोजक कार्यालय पत्र संख्या 6765/वनि.-2/लखनऊ-भू0उप0परि0/96-97 दिनांक 10 अप्रैल, 1997 द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है। कुल 4.91 एकड़ भूमि में से भोश 2.313 एकड़ भूमि विद्यालय के उपयोग हेतु पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में उपलब्ध रहेगी, जैसा कि महायोजना में प्रदर्शित है।

2. लखनऊ नगर की महायोजना 2001 के अनुसार महाविद्यालय हेतु न्यूनतम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अतः प्र नगत स्थल के पीछे लखनऊ-सीतापुर रेलवे लाइन तथा लखनऊ सीतापुर मार्ग के मध्य लगभग 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी महिला महाविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

3. जैसा कि आपके अर्द्ध शासकीय पत्र में महिला महाविद्यालय को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-96 दिनांक 19 अप्रैल, 1996 'प्रति संलग्नक' द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि प्रचलित आवासीय दर/सेक्टर दर के आधे मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। महाविद्यालय की आवश्यकता हेतु क्रीड़ा-स्थल तथा खुले स्थान की भूमि भी इसी दर पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी उपयुक्त शासनादेश द्वारा दिये गये हैं।

4. अतः शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय को 4.91 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भूमि के आवासीय मूल्य के आधे दर अर्थात् रु. 1185/प्रति वर्ग मीटर के अनुसार रु. 259.00 लाख देय होता है। यदि महाविद्यालय को नियमानुसार 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो भूमि का मूल्य रु. 527.50 लाख देय होगा।

5. महिला महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में वर्तमान में लगभग 5 एकड़ भूमि का मूल्य रु. 259.21 लाख तथा 5626 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल मूल्य की लागत रु. 326.64 लाख हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से इस योजना हेतु कुल मूल्य रु. 585.85 लाख की धनराशि को स्वीकृति तथा धनराशि निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

यदि महाविद्यालय को नियमानुसार 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो भूमि का मूल्य रु. 527.50 लाख तथा भवन निर्माण का मूल्य उपरोक्तानुसार रु. 326.64 लाख होगा। इस प्रकार से कुल योजना की लागत रु. 854.14 लाख होगी। अतः अतिरिक्त धनराशि हेतु भी शासनादेश निर्गत किया जाना वांछित होगा।

Radhini Bhatnagar



इसी प्रकरण में यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 14 अप्रैल, 1997 को महिला महाविद्यालय के शिलान्यास के शुभ अवसर पर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्थानीय सांसद द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण कार्य को 100 दिनों में पूर्ण करके जुलाई, 1997 से शिक्षा सत्र प्रारम्भ किये जाने की भी घोषणा की गई है। अतः महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य स्थल पर आरम्भ करा दिया गया है ताकि निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि महिला महाविद्यालय का निर्माण लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित कराये जाने की दशा में रु. 585.85 लाख अथवा 10 एकड़ भूमि पर पूर्ण कराये जाने की दशा में रु. 854.14 लाख की धनराशि पर निर्णय लेते हुए शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें जिससे कि महाविद्यालय के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

यदि शासन को उपरोक्तानुसार एक मुश्त धनराशि तुरन्त उपलब्ध कराने में कठिनाई हो तो वांछित धनराशि को तीन भागों में बांटकर अर्थात् अप्रैल, मई, जून, 1997 (प्रत्ये माह—) में एक तिहाई प्रतिमाह के आधार पर उपलब्ध करा दिया जाये तथा प्रथम किस्त 1/3 विलम्बतम दिनांक 30 अप्रैल, 1997 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

श्री अतुल चतुर्वेदी
सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र आपको इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित है। अवगत कराना है कि महाविद्यालय के निर्माण का कार्य शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारम्भ करा दिया गया है।

भवनिष्ठ

(जे.एस. मिश्र)

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
आवास, उ.प्र. शासन।

Rohini Bhatnagar



Annexure-C-3

typed copy at page -33

U.P.C.

C 370006

ताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

2005-06

दिनांक

सेवा में,

श्री एस्. पी. जाहाजगी

मकान नं. 3F-13

सेक्टर - सी - अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है। उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अध्यायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि लाचारों कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भतदीय,

डॉ० पी० सी० जोशी
प्राचार्य

पुसं० 250-1/2005-06 तदुद्दिनोंक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

डॉ० पी० सी० जोशी
प्राचार्य

Rohini Bishnoi



TYPED COPY / ANNEXURE NO.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

258- 2005-06

दिनांक -12.12.05

सेवा में,

श्री एस० पी० महा पात्रा
मकान नं. 3P-13
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 258-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)

प्राचार्या

LLPC

370006

राजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

25/2005-06

दिनांक

12/11/05

सेवा में,

शतन रत्ना "शुभम"

गक्रान नं. SP-14

सेक्टर - सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

आतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि कानूनी क्रीड़ा स्थल से बंचित न रहें।

भवदीय,

डॉ० पी० जी० जोशी
प्राचार्य

प०सं० /2005-06 तदु दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

डॉ० पी० जी० जोशी
प्राचार्य

Rashmi Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

259- 2005-06

दिनांक -12.12.05

सेवा में,

भवन स्वामी " शुभम"
मकान नं. 3P-14
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 259-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -37

U.P.C.

370006

ताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

26/02 2005-06

दिनांक

12/1/05

सेवा में,

श्री रमण रमण पाण्डेय

मकान नं० 15

सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है। उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे, आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्र शिथिल हटा लें ताकि छात्रायेँ कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भतदीय,

[Signature]

डॉ०पी०सी०जोशी
प्राचार्य

पुं० 26-1 /2005-06 तददिनोंक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु साभर प्रेषित।

[Signature]
डॉ०पी०सी०जोशी
प्राचार्य

Rohini Bisht



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

260- 2005-06

दिनांक -12.12.05

सेवा में,

श्री एस० एल० पाण्डेय
मकान नं. 3P-15
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० सं० 260-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -39

U.P.C.

370006

श्रीमती सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

2005-06

261

दिनांक

12/11/05

सेवा में,

श्री. ए. आर. वि. वरुणी

मकान नं. - SP-16

रोक्टर - सी, अलीगंज, (लखनऊ)

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सज्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाड़पट्टी चाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि छात्राध्यक्ष क्रीडा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय,

प्रधानाचार्य

§ डॉ० पी० सी० जोशी §
प्राचार्य

पु० सं० 02/11/2005-06 तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

§ डॉ० पी० सी० जोशी §
प्राचार्य

Rohini Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय**अलीगंज, लखनऊ**

261- 2005-06

दिनांक -12.12.05

सेवा में,

श्री ए० आर० किदवयी
मकान नं. 3P-16
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 261-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -41

U.P.C.

370006

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

26/2/2005-06

दिनांक

12/12/05

सेवा में,

श्री- हीरा लीला श्रीवास्तव

मकान नं० 52/17

सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सक्की, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि छात्रायेँ कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय,

डॉ०पी०सी०जोशी
प्राचार्य

पु००२६(2-1)/2005-06 तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

डॉ०पी०सी०जोशी
प्राचार्य

Reshmi Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालयअलीगंज, लखनऊ

262/2005-06

दिनांक -12.12.05

सेवा में,

श्री हीरा लाल अग्रवाल "
मकान नं. 3P-17
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 262-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -43

U.P.C

370006

ताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

26/3 2005-06

दिनांक

सेवा में,

अतन रतारि

मकान नं० ३५४

रोडर - सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है। उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अधायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रादिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रार्थे क्रीडा स्थल से वंचित न रहें।

भारतीय,

डॉ० पी० सी० जोशी
प्राचार्य

पु० सं० २६३-१ / 2005-06 तह दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

डॉ० पी० सी० जोशी
प्राचार्य

Rohini Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालयअलीगंज, लखनऊ

263- 2005-06

दिनांक -

सेवा में,

भवन स्वामी "
मकान नं. SP-18
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 263-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -45

U.P.C

370006

ताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

264/2005-06

दिनांक 12/12/2005

सेवा में,

शुभम रताजी
(श्री विद्या कुमारी)

अलीगंज नं. 512

रोकट-सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि मात्रार्थे क्रीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय,

§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

पुसं० 264-1/2005-06 तददिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

Rashmi Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

264- 2005-06

दिनांक – 12.12.2005

सेवा में,

भवन स्वामी "
श्री विजय कुमार
मकान नं. SP-21
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 264-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -47

U.P.C.

370006

ताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

265

2005-06

दिनांक

12/12/05

सेवा में,

श्री सुहेल अहमद / भवन स्काजी

अधीन नं. SI-22

सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है। उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अध्यायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जल्द ही महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्र तिराग हटा लें ताकि माजरायें क्रीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय,

§ डॉ० पी० सी० जोशी §
प्राचार्य

पु० सं० 265-1/2005-06 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सागर प्रेषित।

§ डॉ० पी० सी० जोशी §
प्राचार्य

Rohini Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

265- 2005-06

दिनांक – 12.12.05

सेवा में,

श्री सुहेल अहमद / भवन स्वामी "
श्री विजय कुमार
मकान नं. SP-22
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।
महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 265-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

Typed copy at page -49

U.P.C

C 370006

श्रीमताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

266

2005-06

दिनांक

सेवा में,

श्री राग इकबाल तिलारी

शकना नं० SP-23

सेक्टर - सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है। उस पर आप वदारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप वदारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप वदारा बाउण्ड्री वॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ता कि फासाये क्रीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भतदीय,

श्रीमताजी सुभाष चन्द्र बोस
§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

पुं० सं० 266-1/2005-06 तददिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

श्रीमताजी सुभाष चन्द्र बोस
§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

Reshma Bhatnagar



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय**अलीगंज, लखनऊ**

266- 2005-06

दिनांक -

सेवा में,

श्री राम इकबाल तिवारी
मकान नं. SP-23
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 266-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

ANNEXURE NO.CA-3

Typed copy at page -51

U.P.

008

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ

संज्ञांक

267/2005-06

दिनांक

12/12/05

सेवा में,

श्री आर.के. त्रिपाठी / श्री आर्तीमान त्रिपाठी

अकान नं० - SP - 24

सेक्टर - सी, अलीगंज, लखनऊ

विषय: महाविद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महाविद्यालय की भूमि है उस पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अध्यायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर राहजी, पेड़-पौधे, आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री चॉल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महाविद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रतापूर्वक हटा लें ताकि छात्राये क्रीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय,

§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

पुसं० 267-1/2005-06 तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को उपर्युक्त के संदर्भ में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

§डॉ०पी०सी०जोशी§
प्राचार्य

Rashmi Bishnoi



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालयअलीगंज, लखनऊ

267- 2005-06

दिनांक – 12.12. 05

सेवा में,

श्री आर० के० त्रिपाठी श्री आर्तीमान त्रिपाठी "
मकान नं. SP-24
सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ

विषय: महा विद्यालय परिसर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपके आवास के पीछे जो महा विद्यालय की भूमि है। उरा पर आप द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। पहले आप द्वारा अस्थायी रूप से भूमि का अतिक्रमण कर उस पर सब्जी, पेड़-पौधे आदि लगाये गये परन्तु अब आप द्वारा बाउण्ड्री वाल खड़ी कर दी गयी है। आपसे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कहा गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनहित में महा विद्यालय की भूमि से आप अतिक्रमण शीघ्रातिशीघ्र हटा लें ताकि छात्रायें कीड़ा स्थल से वंचित न रहें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

पृ० स० 267-1/2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को उपर्युक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित :-

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

ANNEXURE NO.CA-4

Typed copy at page -53

प्रेषक,

प्राचार्य,

राजकीय महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

लखनऊ।

फॉक: 323/भवन अतिक्रमण/2005-06 दि02.02.2006

विषय: महाविद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महाविद्यालय:आमारी है कि जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाविद्यालय की भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही आज दि02.2.2006 को की गयी, परन्तु अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य अभी भी अधूरा ही हुआ है। लगभग 4 जगह आवासीय भवन सं0 सस पी -21, 22, 23 एवं 24 के पीछे का अतिक्रमण किन्हीं कारणों से हटाया जाना अभी भी शेष है।

अतः सानुरोध निवेदन है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से शेष अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही कराने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

c/c

डॉ०पी०सी०जोशी
प्राचार्यराजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ।

पु0सं0

/2005-06 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 323-1 1. उपायक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
323-2 2. शिक्षा निदेशक उ0शिक्षा उ0पु0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
323-3 3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 8-ए, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ।

Rohini Beshra



(डॉ० पी० सी० जोशी)

प्राचार्य

राजकीय महिला महाविद्यालय
अलीगंज, लखनऊ।

TYPED COPY / ANNEXURE NO.CA-4

प्रेषक,

प्राचार्य, राजकीय महिला महा विद्यालय, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

लखनऊ।

पत्रांक -323/भवन अतिक्रमणा/2005-06 दि02-02-2006

विषय: महा विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महा विद्यालय आभारी है कि जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से महा विद्यालय की भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही आज दि0 2-2-2006 को की गयी, परन्तु अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य अभी भी अधूरा ही हुआ है। लगभग 4 जगह (आवासीय भवन) सॅ० एस पी -21,22,23 एवं 24 के (पीछे) का अतिक्रमण किन्हीं कारणों से हटाया जाना अभी भी शेष है।

अतः सानुरोध निवेदन है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से शेष अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही कराने की महती कृपा करें।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या
राजकीय महिला महा विद्यालय,
अलीगंज, लखनऊ।

पृ० स० /2005-06 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


323-1 -1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

323-2- 2. शिक्षा निदेशक उ०शि०उ० प्र० , उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

323-3 - 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 8-ए, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ।

भवदीय
(डा० पी सी० जोशी)
प्राचार्या

राजकीय महिला महा विद्यालय,
अलीगंज, लखनऊ।



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
Netaji Subhash Chandra Bose Govt. Girls P.G. College

NAAC द्वारा मूल्यांकित 'ग्रेड-बी'

अलीगंज, लखनऊ, दूरभाष : 0522-4953069

Website : nscbonline.in, nscboggpgc.org, Email : nscboggdc@gmail.com

पत्रांक : 180 / 2023-24

दिनांक 19.09.2023

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

B/H: Dr. N. K. Mishra

Boundary wall को हटाने के लिए LDA की report मिलाने से

विषय : शासकीय महिला महाविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर शासन द्वारा
अवमुक्त धनराशि से चहारदीवारी निर्माण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शिवपुरक सेक्टर में local area map hole

निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि इस महाविद्यालय की स्थापना भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी (तत्कालीन लोक सभा सांसद, लखनऊ) के विशेष प्रयासों से अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1997 में हुई थी जिससे क्रि छात्राओं की शिक्षा हेतु एक उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र स्थापित हो सके। वर्तमान में महाविद्यालय में लगभग 2800 छात्राएँ अध्ययनरत हैं तथा स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. स्नातकोत्तर स्तर पर 05 विषयों में कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। महाविद्यालय नैक द्वारा 02 बार मूल्यांकित बी ग्रेड प्राप्त है तथा तीसरी बार नैक हेतु प्रक्रिया अंतिम चरणों में है तथा नैक मूल्यांकन माह नवम्बर, दिसम्बर, 2023 में प्रस्तावित है। आपका ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराना है।

1. महाविद्यालय की स्थापना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 28/उपा.सी./97 दिनांक 24.04.1997 द्वारा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 4.91 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गयी थी जिसमें से 2.517 एकड़ भूमि का भू-उपयोग शैक्षणिक प्रयोग में परिवर्तित किये जाने तथा शेष 2.393 एकड़ भूमि महाविद्यालय के उपयोग हेतु पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था थी। जो भूमि पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में उपलब्ध कराई गयी थी, उस भूमि पर स्थानीय निवासियों आवास सं. एस.पी.-13 से एस.पी. 24 के द्वारा लंबे समय से स्थायी, अस्थाई निर्माण एवं टीन शेड डालकर भूमि को घेर लिया गया है। इससे अध्ययनरत छात्राओं एवं महिला स्टाफ की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। दिन-रात आवारा पशुओं एवं अराजक तत्वों का आवागमन बना रहता है तथा कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है।
2. इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक 1085/आसु./पी.जी./2006 दिनांक 06.01.2006 द्वारा कराई गयी जांच में अतिक्रमण की बात को स्वीकार किया, परंतु अभी तक अतिक्रमण नहीं हट सका है।
3. महाविद्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया गया है तथा एंटी भू-माफिया पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराया गया है परंतु अतिक्रमण नहीं हट सका है।
4. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में आवास सं. एस.पी.-17 की निवासिनी श्रीमती सुधा अग्रवाल एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ,

B/m

ACM-5

कु. तत्काल निष्काशन
का का करें।

सुधा
20/9/23

Roshni Bishnoi





नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
Netaji Subhash Chandra Bose Govt. Girls P.G. College

NAAC द्वारा मूल्यांकित 'ग्रेड-बी'

अलीगंज, लखनऊ, दूरभाष : 0522-4953069

Website : nscbonline.in, nscbggggc.org, Email : nscbggdc@gmail.com

लखनऊ में रिट याचिका सं. 14356/एम.बी./2019 योजित की है परंतु माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्थगन/अंतरिम आदेश नहीं किया गया है। महाविद्यालय द्वारा वस्तु स्थिति से लिखित रूप से शासकीय अधिवक्ता को अवगत कराया जा चुका है।

5. सूच्य है कि चहार-दीवारी के निर्माण हेतु शासन द्वारा कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., जल निगम, उ.प्र. को नामित करते हुए धनराशि रु 25.06 लाख अवमुक्त कर दी गयी है एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। चहार दीवारी निर्माण के समय अतिक्रमणकारियों द्वारा शांति भंग की आशंका है।

अतः आपसे निवेदन है कि चहार-दीवारी निर्माण हेतु अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। महाविद्यालय आपके इस कृपापूर्ण सहयोग के लिए सदा आभारी रहेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

रजिस्ट्रार

भतदीय,

प्रोफेसर अनुराधा तिवारी
प्राचार्य

Rohini Bishnoi



TYPED COPY / ANNEXURE NO.5

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

Netaji Subhash Chandra Bose Govt. Girls P.G. College

NAAC द्वारा मूल्यांकित 'ग्रेड-बी'

अलीगंज, लखनऊ, दूरभाष : 0522-4953069

Website: nscbonline.in, nscbggpgc.org, Email :nscbggdc@gmail.com

=====

पत्रांक: 180/2023-24

दिनांक 19.09.2023

सेवा में,

मंडलायुक्त

लखनऊ मण्डल

लखनऊ

विषय : शासकीय महिला महाविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर शासन द्वारा अवमुक्त घनराशि से चहारदीवारी निर्माण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि इस महाविद्यालय की स्थापना भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी (तत्कालीन लोक सभा सांसद, लखनऊ) के विशेष प्रयासों से अन्तरराष्ट्रीयक महिला वर्ष 1997 में हुई थी जिससे कि छात्राओं की शिक्षा हेतु एक उत्कृष्ट शिक्षण केन्द्र न देश स्थापित हो सके। वर्तमान में महाविद्यालय में लगभग 2800 छात्रायें अध्ययनरत हैं तथा स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.एस.सी. बी.कॉम. स्नातकोत्तर स्तर पर 05 विषयों में कक्षाये संचालित हो रही हैं। महाविद्यालय नैक द्वारा

02 बार मूल्यांकित बी ग्रेड प्राप्त है तथा तीसरी बार नैक हेतु प्रक्रिय प्रक्रिया अंतिम चरणों में है तथा नैक मूल्यांकन माह नवम्बर, दिसम्बर, 2023 में प्रस्तावित है। आपक्रा ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराना है।

1. महाविद्यालय की स्थापना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 28/ जपा.सी./97 दिनांक 24.04.1997 द्वारा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 4.91 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गयी थी जिसमें से 2.517 एकड़ भूमि का भू-उपयोग शैक्षणिक प्रयोग में परिवर्तित किये जाने तथा शेष 2.39.3 एकड़ भूमि महाविद्यालय के उपयोग हेतु पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था थी। जो भूमि पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में उपलब्ध कराई गयी थी, उस भूमि पर स्थानीय निवासियों आक्स सं. एस.पी. -13 से एस.पी. 24 के द्वार। लंबे समय से स्थायी, अस्थाई निर्माण एवं टीन शेड डालकर भूमि को घेर लिया गया है। इससे अध्ययनरत छात्राओं एवं महिला स्टॉफ की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। दिन-रात आवारा पशुओं एवं अराजक तत्वों का आवागमन बना रहता है तथा कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है।
2. इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक 1085/आसु./पी.जी./2006 दिनांक 06.01.2006 द्वारा कराई गयी जांच में अतिक्रमण की बात को स्वीकार किय, परंतु अभी तक अतिक्रमण नहीं हट सका है।
3. महाविद्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया गया है तथा एंटी भू-माफिया पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराया गया है परंतु अतिक्रमण नहीं हट सका है।
4. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में आवास सं. एस.पी.-17 की निवासिनी श्रीमती सुधा अग्रवाल एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ

लखनऊ में रिट याचिका सं. 14356/एम.बी./2019 योजित की है परंतु माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्थगन / अंतरिम आदेश नहीं किया गया है। महाविद्यालय द्वारा वस्तु स्थिति से लिखित रूप से शासकीय अधिवाता को अवगत कराया जा चुका है।

5. सूच्य है कि चहार-दीवारी के निर्माण हेतु शासन द्वारा कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. जल निगम, उ.प्र. को नामित करते हुए धनराशि रु 25.06 लाख अवमुक्त कर दी गयी है एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। चहार दीवारी निर्माण के समय अतिक्रमणकारियों द्वारा शांति भंग की आशंका है।

अतः आपसे निवेदन है कि चहारदीवारी निर्माण हेतु अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। महाविद्यालय आपके इस कृपापूर्ण सहयोग के लिए सदा आभारी रहेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

सादर

भवदीय

प्रोफ़ेसर अनुराधा तिवारी

प्राचार्या

ANNEXURE NO.CA-6

Typed copy at page -61



लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक :- अपर सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, विभिन्न स्तरीय गोगरी नगर, लखनऊ ।	सेवा में, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ ।
संख्या :- 459/A.A.4/34	दिनांक :- 13.08.2024
-:विषय:- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन स्वामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं टीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।	

महोदय,

कृपया नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन स्वामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं टीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दिनांक 21/08/24 को पूर्वान्ह 11:00 का समय निर्धारित किया गया है। अतिक्रमण को हटाये जाते समय शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन स्वामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं टीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाते समय स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दिनांक 21/08/24 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्थल पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती करते हुए आवश्यक पुलिस बल व महिला पुलिस बल तथा पी.ए.सी. बल उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही शान्ति पूर्वक सम्पन्न करायी जा सके।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
o/c

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. पुलिस उपायुक्त उत्तरी लखनऊ को सूचनार्थ।
4. अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ।
5. अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जॉनल अधिकारी, जॉन-4(प्र0) ल0वि0प्र0 को स्थल पर स्टाफ सहित उपस्थित रहकर सहयोग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी-अर्जन को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि एवं समय पर समस्त अभिलेखों एवं स्टाफ सहित स्थल पर उपस्थित रहकर चिन्हांकन कराते हुए भूमि को खाली कराने की कार्यवाही करें।
8. अधिसारी अभियन्ता, अभियन्त्रण जॉन-4 ल0वि0प्र0 को स्थल पर स्टाफ सहित उपस्थित रहकर अवैध कब्जेदारों एवं कब्जे को हटाने आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सहायक पुलिस आयुक्त, अलीगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अधिसारी अभियन्ता (वि0/या0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त तिथि व समय पर विद्युत विच्छेदन हेतु लाइन मैन, एवं जे.सी.बी. स्थल पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. थानाध्यक्ष, थाना-अलीगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रभारी प्रवर्तन दल, ल0वि0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर प्राधिकरण पुलिस बल व थाना-अलीगंज पुलिस बल के साथ सम्बन्ध स्थापित कर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग हेतु।

Roshni Bishnoi
✓



अपर सचिव

o/c

TYPED COPY / ANNEXURE NO.6**लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ**

प्रेषक :-

अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, विधिन खण्ड गोगती नगर, लखनऊ ।

सेवा में,

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ।

संख्या :- 459/A.A.4/94

दिनांक :- 13.08.2024

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय गहिना स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन रगामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं तीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

-

महोदय,

कृपया नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन स्वामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं तीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु

दिनांक 21/08/24 को पूर्वान्ह 11:00 का समय निर्धारित किया गया है। अतिक्रमण को हटाये जाते समय शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर भवन संख्या-एस.पी.-14 से एस.पी.-24 के भवन स्वामियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थायी, अस्थायी निर्माण एवं टीन शेड डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाते समय स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट ही आवश्यकता होगी।

अतः उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दिनांक 21/08/24 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्थल पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती करते हुए आवश्यक पुलिस बल व महिला पुलिस बल तथा पी.ए.सी. बल उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही शान्ति पूर्वक सम्पन्न करायी जा सकें।

भवदीय
(ज्ञानेंद्र वर्मा)
अपर सचिव

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
3. पुलिस उपायुक्त उत्तरी लखनऊ को सूचनार्थ।

4. अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ।
5. अपर नगर गजिस्ट्रेट (पंचग) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. जोनल अधिकारी, जोन-4 (प्र०) ल०वि०प्रा० को स्थल पर स्टाफ सहित उपस्थित रहकर सहयोग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. प्रभारी अधिकारी-अर्जन को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि एवं समय पर समस्त अभिलेखों एवं स्टाफ सहित स्थल पर
8. उपस्थित रहकर चिन्हांकन कराते हुए भूमि को खाली कराने की कार्यवाही करें।
9. अधिशासी अभियन्ता, अभियन्तण जोन-4 ल०वि० प्रा० को स्थल पर स्टाफ सहित उपस्थित रहकर अवैध कब्जेदारों एवं कब्जे को हटवाने आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सहायक पुलिस आयुक्त, अलीगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधिशासी अभियन्ता (वि० / यां०) को इस निर्देश के साथ प्रेषित
कि उक्त तिथि व समय पर विद्युत विच्छेदन हेतु लाइन मैन
12. एवं जे.सी.बी. स्थल पर उपलब्ध कराने हेतु ।
13. थानाध्यक्ष, थाना-अलीगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 14.1 प्रभारी प्रवर्तन दल, ल०वि० प्रा० को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर प्राधिकरण पुलिस बल व थाना-अलीगंज पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर शारित व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग हेतु ।

अपर सचिव

अतिक्रमण हटने से पूर्व के द्वारा चित्र




अतिक्रमण होने से पूर्व के दृश्यांकित




अतिक्रमण हटने से पूर्व के दायित्व





महाविद्यालय का अतिक्रमण करने के पश्चात का दृश्य

अतिक्रमण दृश्य स पूर्व के द्वापान्चिह्न






महाविद्यालय का उत्तिक्रमण होने के पश्चात का दृश्य





महाविद्यालय का अतिक्रमण होने के पश्चात का दृश्य



महाविद्यालय का उत्तिक्रमण करने के पश्चात का दृश्य

नवनिर्मित चहार दीवारी का शिक्षा निदेशक (उ.प्रि.) महोदय डा. लोकार्पण



 	 
<p style="text-align: center;">भारत सरकार Government of India</p>	<p style="text-align: center;">सूचना / INFORMATION</p>
<p style="text-align: center;">भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India</p> <p>नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 1207/00668/00798</p> <p>To रश्मि बिशनोई Rashmi Bishnoi W/O Ravindra Pal Singh, 202 grandeur park apartment, b 50 mahanagar extension, opposite j park, lucknow, VTC: lucknow, District: Lucknow, State: Uttar Pradesh, PIN Code: 226006, Mobile: 9415467487</p> <p>Signature Not Verified Digitally signed by Rashmi Bishnoi, Unique Identification Authority of India DN: cn=Rashmi Bishnoi, o=UIDAI, ou=Unique Identification Authority of India, email=Rashmi.Bishnoi@uidai.gov.in, c=IN Date: 2025.07.27 13:38:46 IST</p>  <p>आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. : XXXX XXXX 2559 VID : 9161 6066 2066 0054</p> <p style="text-align: center;">मेरा आधार, मेरी पहचान</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है। ■ इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए। ■ आधार विशिष्ट और सुरक्षित है। ■ पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए। ■ आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदा/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है। ■ आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें। ■ आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें। ■ आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें। ■ आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं। ■ Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder. ■ This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in. ■ Aadhaar is unique and secure. ■ Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar. ■ Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services. ■ Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar. ■ Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services. ■ Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics. ■ Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.
<p style="text-align: center;">भारत सरकार Government of India</p>  <p>Aadhaar no. Issued: 22/12/2011</p>  <p>रश्मि बिशनोई Rashmi Bishnoi जन्म तिथि/DOB: 01/07/1966 महिला/ FEMALE</p> <p>आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ऑफलाइन एक्सएम्पल को स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए। Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).</p> <p style="text-align: center;">XXXX XXXX 2559 VID : 9161 6066 2066 0054</p> <p style="text-align: center;">मेरा आधार, मेरी पहचान</p>	<p style="text-align: center;">भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India</p>  <p>पता: W/O रवीन्द्र पाल सिंह, २०२ ग्रेण्डयोर पार्क अपार्टमेंट, बी ५० महानगर एक्सटेंसिओ, ओप्योसिटे जे पार्क, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226006</p> <p>Address: W/O Ravindra Pal Singh, 202 grandeur park apartment, b 50 mahanagar extension, opposite j park, lucknow, lucknow, DIST: Lucknow, Uttar Pradesh - 226006</p>  <p style="text-align: center;">XXXX XXXX 2559 VID : 9161 6066 2066 0054</p> <p style="text-align: center;">1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in</p>

Vakalatnama

IN THE HON'BLE GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

Nitin Srivastava - Applicant

State of U.P. **VERSUS** Respondents.
O.A Case No. 11512025

I/We

Rashmi Bishnoi the undersigned do
hereby nominate and appoint **Sri**
Advocate Lokesh Kumar Choudhary Adv, Mob. No.: +91 9560216710, Email: veerlokesh@gmail.com

ANUJ PANDEY Advocate, to be counsel in the above matter and for me/us and on my/our behalf to appear, plead act and answer in the above Court/Commission or any appellate Court or any Court to which the business is transfer in the above matter, and to sign and file petitions, statements, accounts, exhibits, compromises or other documents whatsoever, in connection with the said matter arising there from, and also to apply for and receive all documents or copies of documents, depositions, etc. and to apply for issue of summons and other writs or subpoena and to apply for and get issued any arrest, attachment or order execution warrant or order and to conduct any proceeding that may rise thereout and to apply for and receive payment of any or all sums or submit the above matter to arbitration.

Provide, however, that if any part of the Advocate's fee remains unpaid before the first hearing of the case or any hearing of the case by fixed beyond the limits of the town, then, and in such an event my/our said advocate shall not be bound to appear before the court and if my/our said advocate doth appear in the said case he shall be entitled to an outstation fee and other expenses of traveling, lodging, etc. Provided ALSO that if the case be dismissed by default, or it be proceeded ex parte, the said advocate(s) shall not be held responsible for the same. And all whatever my/our said advocate(s) shall lawfully do I do here by agree to and shall in future ratify and confirm.

Dated : *17.07.2025*
Lokesh Choudhary

(Lokesh Kumar Choudhary) Advocate
Enrl. No.D/568-B/2005

Signature of Client..... *Rashmi Bishnoi*

Prof. Rashmi Bishnoi (Principal)
NSCB Govt Girls PG College
Aligarh Uts

ACCEPTED:-


(Ajay Singh) Advocate
UP/6516/2005

Anand Kumar
En. No. UP 8950/2001

(Respondent No. 3)